प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी, बस्ती, उन्नाव, गोण्डा, कानपुर, रामपुर, मोरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, सीतापुर, मैनपुरी, कन्नौज, झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद।

पत्रांक : टोबैको सैल/2017/647

लखनऊ। दिनांक 14/11/17

महोदय,

अवगत् कराना है कि उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन (यू0पी0वी0एच0ए0) राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य भवन लखनऊ के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के जनपदों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम– 2003 के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्य कर रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना है कि –

1. **सेक्शन–4** : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। जैसे– सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेन्ट, शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय, न्याय परिषद, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल, एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध में आते हैं। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य है।
2. **सेक्शन– 5** : तम्बाकू उत्पादों के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन उनके द्वारा प्रयोजन एवं प्रोत्साहन निषेध है।
3. **सेक्शन–6अ** : 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है।
4. **सेक्शन–6ब** : शैक्षणिक स्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बकू बेचना प्रतिबंधित है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।
5. **सेक्शन–7** : तम्बाकू उत्पादों पर चित्र मय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शनी होनी चाहिए।
6. **सेक्शन– 21 व 24** : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा किसी अल्प व्यस्क व्यक्ति के/को द्वारा तम्बाकू बेचना अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए रू0 200/– का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के प्रतिनिधि सतत आपके सम्पर्क में बने रहेंगे। कृपया एसोसिएशन को अपने स्तर से सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें तथा उनके द्वारा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट स्वयं राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को nodal.ntcp.up@gmail.com पर प्रत्येक माह अवगत् कराना सुनिश्चित करें जिससे कि जनपद में उक्त अधिनियम का प्रभावी कियान्वयन हो सके।

भवदीय,

14/11/17

(आलोक कुमार)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य/
राज्य नोडल अधिकारी
राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : टोबैको सैल/2017/648-49

लखनऊ तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी, बस्ती, उन्नाव, गोण्डा, कानपुर, रामपुर, मोरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, सीतापुर, मैनपुरी, कन्नौज, झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद।
2. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0 को उनके पत्रांक UPVHA/TCP Govt./141/2017 दिनांक 30.10.2017 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य/
राज्य नोडल अधिकारी
राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम उ0प्र0, लखनऊ।

Scanned by CamScanner